

11.08.2025:-पत्रावली आज प्रार्थी मो० हसन जरिय  
अधिवक्ता श्री अनिलकुमार शर्मा द्वारा के प्रार्थना  
पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया  
गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  
कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपने वादपत्र मे आगे  
कोई कार्यवाही नही चाहते इसलिए प्रार्थी अपना  
प्रार्थना पत्र विद्वा करवाना चाहता है। प्रार्थी का  
वादपत्र आज ही पेशी मे लिया जाकर विद्वा  
फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना  
पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया  
गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना  
पत्र नयायाहित मे स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के  
फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर/अगुठा करवाया गया।  
प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई।  
वाद पत्र वर्तमान स्तर पर विद्वा किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर  
हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ